Title: Demand to permit the construction activities in Cantonment areas of Pune.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1983 में तत्कालीन रक्षा मंत्री महोदय ने पूना के कैंटोनमेंट का दौरा किया था। उस दौरे में उन्हें महसूस हुआ कि डिफेंस एरिया में आरक्षित स्थान छोड़कर बाजार एरिया में नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। उस कैंटोनमेंट एरिया में उससे प्राकृतिक सौन्दर्य में बाधा आ सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसी बिल्डिंगें बनाने पर रोक लगाने की इच्छा प्रदर्शित की। इसी इच्छा के अनुरूप तत्कालीन जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ ने 22 जुलाई, 1984 को एक अध्यादेश जारी करके सभी कैंटोनमेंट एरियाज के अन्तर्गत बाजार एरिया में एफ.एस.आई. जारी किया।

14.00 hrs.

उसके तहत नई बिल्डिंग बनाना, पुरानी बिल्डिंग को दुरुस्त करना, बिल्डिंग की ऊंचाई 18 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्राउंड फ्लोर के साथ दो मंजिल से ज्यादा की अनुमति देना बंद कर दिया है। बिंगार कैंटोनमेंट एरिया में सभी बिल्डिंग पुरानी और विपन्न अवस्था में हैं। एफ.एस.आई. के बारे में जो कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दे दी है। 14 साल से वहां कोई निर्माण कार्य या मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। 14 साल पहले जिस परिवार में चार बच्चे थे, अब 14 हो गए हैं, घर बड़ा चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार से क्या कहना है, यह पूछें।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदपुर) : मेरा भारत सरकार से यह निवेदन है कि वह इस बारे में उचित कार्यवाही करे।